V.K.
19.1.16

संचिका सं0 1/पी0एम0सी0/विविध/979/2016

(पीत पत्र के बदले)

अधीक्षण अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/
सिंचाई मोनिटरिंग अंचल/
बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना
निदेशक, वाल्मी ।
संयुक्त निदेशक, एफ०एम०आई०सी०, पटना
उप सचिव, काडा ।

विषय : दिनांक 15.12.2015 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 15.12.2015 को माननीय मुख्य मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यकलापों की समीक्षा की गई । इस समीक्षात्मक बैठक में मुख्यतः 16 कार्य बिन्दु सन्निहित हैं ।

अनुरोध है कि अपने-अपने परिक्षेत्र संबंधित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु वांछित अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित किया जाय ।

AII-CE
19.1

ह0/-
(इन्दु भूषण कुमार)
मुख्य अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग, पटना ।

207
1.1.16

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख (उ0)/(द0), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.16
(इन्दु भूषण कुमार)
मुख्य अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग, पटना ।
18/01/2016

स0अभि0
20.01.2016

गैर सरकारी प्रेषण संख्या 50 दिनांक 18.01.2016
योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-1
जल संसाधन विभाग, पटना-1

दिनांक 15-12-2015 को माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक के मुख्य कार्य बिन्दुः-

1 जल संसाधन विभाग निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की कार्रवाई करे, जिससे कि अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हो सके । विगत् वर्षो में सिंचाई क्षमता में वृद्धि नहीं के बराबर होना चिन्ता का विषय है ।

2 वृहद योजनाओं के कार्यान्वयन में भू-अर्जन आदि समस्याओं के कारण हो रहे विलम्ब को देखते हुए छोटी-छोटी मध्यम सिंचाई योजनाओं को चिन्हित कर शीघ्र कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय ताकि कम समय में एवं कम लागत से सिंचन क्षमता में वृद्धि की जाए ।

3 परियोजनाओं के निर्माण के समय से ही इसके प्राक्कलन में सृजित क्षमता को कायम रखने के लिए इनकी मरम्मति एवं अनुरक्षण का प्रावधान का समावेश किया जाय, जिससे की सृजित क्षमता एवं उपयोगी सिंचाई क्षमता में गैप न रहने पाए एवं किसानों को निर्वाध रूप से सिंचाई का लाभ मिलता रहे ।

4 ह्रासित क्षमता के पुनर्स्थापन का कार्य अति शीघ्र पूरा किया जाय ।

5 सिंचाई परियोजना का कार्य समय पर पूरा हो, इसके लिए आवश्यक है कि भूमि अधिग्रहण की समस्या का ससमय समाधान करते हुये योजनाओं के सभी अवयवो का कार्य समानान्तर रूप से कार्यान्वित की जाय ताकि कम समय में योजनाओं का सभी कार्य पूरा हो जाय एवं किसानों को इसका पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो जाय । योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का कार्य प्राथमिकता निर्धारित कर कार्यान्वित की जाय ।

6 जिन योजनाओं की भौतिक प्रगति 70% से उपर हैं, उन योजनाओं को पूरा करने हेतु उद्व्यय का प्रावधान किया जाय । जहॉ पर योजनाओं के कार्यान्वयन में जनावरोध किया जा रहा है, उन योजनाओं को बंद कर वैसे योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करें, जिसमें भू-अर्जन अधिकतम रूप में किया जा चुका हो ।

7 जल संसाधन विभाग के संगठनात्मक ढाँचा के संबंध में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । इसके लिए विभाग विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया जाये । बाढ़ एवं सिंचाई प्रक्षेत्र का कार्यभार अलग-अलग किया जाय, जिससे कि पदाधिकारीगण अपने-अपने प्रक्षेत्र में फोकस कर योजनाओं के कार्यो को कार्यान्वित करा सकें ।

8 जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सभी काडा (CADA) की कार्य पद्धति एवं इसकी उपयोगिता की समीक्षा कर इसे विभाग के अन्तर्गत समायोजित करने की पहल की जाय । साथ

ही, बिहार स्टेट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन को लिक्यूडेट किया जा सकता है एवं यथासंभव इनके कर्मियों से विभाग में सेवा ली जा सकती है। उक्त दोनों बिन्दुओं पर मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर समीक्षा कर प्रस्ताव कायम किया जायेगा।

9 अभियंताओं की कमी दूर करने हेतु विधिवत प्रक्रिया अपना कर बहाली की जाय।

10 जल संसाधन विभाग के भू-अर्जन संबंधी नयी अधियाचना जिला प्रशासन के अन्तर्गत कार्यालय से कराया जाय ताकि इससे जुड़ी विधि व्यवस्था की समस्या का निराकरण कराया जा सके। विभाग इस संबंध में विधिवत निर्णय ले।

11 सिंचाई एवं बाढ़ प्रक्षेत्र की योजनाओं के सूत्रीकरण में सुधार लाया जाय। जैसे कि नहर के पानी की बर्वादी रोकने हेतु लाइनिंग का कार्य तथा नहर बांध एवं तटबंध की मजबूती एवं इसके निरीक्षण हेतु पक्कीकरण का कार्य का समावेश किया जाय। किसी भी स्थिति में इन पर सड़क बनाने का कार्य विभाग न करें। सड़क बनाने की जिम्मेवारी पथ निर्माण विभाग की है।

12 सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए नई योजनाओं को चिन्हित कर डी0पी0आर0 तैयार किया जाय।

13 नदी के प्रकृति के अध्ययन हेतु एक संस्थान की स्थापना हेतु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव तैयार करें, जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे। इस संस्थान में जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं का ट्रेनिंग तथा तकनीकी अध्ययनरत विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम कार्य शुरू हो सके। जल संसाधन विभाग अपने समस्याओ पर विशेष अध्ययन हेतु इस संस्थान की सेवा ले सकें।

14 जल संसाधन विभाग फ्लड फोरकास्टिंग इत्यादि कार्यो को अत्याधुनिक ज्ञान एवं विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त कर विकसित करें।

15 जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण, सेमिनार आयोजन कराकर ब्रेन स्टोर्मिंग सेसन चलाया जाय ताकि वे अपनी तकनीकी विधा में नये-नये तकनीक से अवगत हो सकें।

16 विश्व बैंक की कोसी परियोजना के कार्यो को निर्धारित समय सीमा मै पूर्ण कराया जाय।

अनुलग्नक-1

दिनांक 15.12.2015 को माननीय मुख्य मंत्री के साथ हुये जल संसाधन विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची

क्रमांक	पदाधिकारियों का नाम	पदनाम
1	श्री अंजनी कुमार सिंह	मुख्य सचिव, बिहार
2	श्री शिशिर सिन्हा	विकास आयुक्त, बिहार
3	श्री अरूण कुमार सिंह	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार
4	श्री रवि मित्तल	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
5	श्री सतीश चन्द्र झा	अपर सचिव, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार
6	श्री राजेश कुमार	अभियंता प्रमुख (उत्तर), जल संसाधन विभाग, बिहार
7	श्री राम पुकार रंजन	अभियंता प्रमुख (दक्षिण), जल संसाधन विभाग, बिहार
8	श्री इन्दु भूषण कुमार	मुख्य अभियंता, यो0 एवं मो0, जल संसाधन विभाग, बिहार
9	श्री गोरखनाथ	निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार
10	श्री रवीन्द्र कुमार शंकर	अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल-2
11	श्री अंजनी कुमार सिंह	अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल-3
12	श्री शांति रंजन शर्मा	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नि0 यो0 एवं मो0 अंचल
13	श्री विपिन कुमार	कार्यपालक अभियंता, यो0एवं मो0 प्रमं0-3
14	श्री अजय कुमार सिंह	सहायक अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल-4
15	श्री रामा शंकर प्रसाद	सहायक अभियंता, बाढ़ नि0 यो0 एवं मो0 अंचल